न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां

(जिला–जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी श्री रतनलाल रेगर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः–38ए / 2018

वादीः–

शिवराम पुत्र श्री गायड़राम, जाति देवासी निवासी मीनों की ढाणी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. लुम्बाराम पुत्र श्री दोलाराम फौत के कायम मुकाम
   1/1 गोपीलाल पुत्र श्री लुम्बाराम
   1/2 सुखराम पुत्र श्री लुम्बाराम
   1/3 रामचन्द्र पुत्र श्री लुम्बाराम
   जाति विश्नोई निवासी एकलखोरी,
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
2. भूमिधारी श्रीमान् तहसीलदार ओसियां

वादी अधिवक्ताः– श्री राजेश खीचड़

प्रतिवादी अधिवक्ताः– श्री राजेन्द्र कुमार चौधरी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 (इठयासी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

–::निर्णयः:–

दिनांकः–21.1.2019

सहायक कलेक्टर ओसियां

Scanned by CamScanner

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि यह हैं कि मुझ वादी की पुश्तैनी सामलाती खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 267 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा मौजा ग्राम समराथलनगर पटवार मण्डल एकलखोरी व वादी के दादा के नाम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 166 रकबा 4 बीघा मौजा ग्राम झरिया, पटवार मण्डल एकलखोरी तहसील ओसियां में आई हुई हैं। उक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश मेरी सामलाती हक अधिकार व खातेदारी भूमि के साथ में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम काश्तकार अव्वल–लुम्बाराम पिता दौलाराम जाति विश्नोई के रूप में दर्ज हो गया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त कभी भी नहीं रहा। उक्त खातेदारी भूमि में सभी सम्मिलित खातेदार अपनी हक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त चले आ रहे है तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भी काश्तकारों का अपना अलग–अलग हिस्सा जमाबन्दी में खोल रखा है। जमाबन्दी की हिस्साकसी से भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 अव्वल–लुम्बाराम पिता दौलाराम के नाम से पहले ही भूमि का रकबा पूर्ण हो जाता है यानि 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज करने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 अव्वल–लुम्बाराम पिता दौलाराम का नाम दर्ज है जो गलत है। जिसे हटाया जाकर वादी व अन्य सह खातेदारों के नाम खातेदारी घोषणा की जानी आवश्यक है। वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये।

प्रतिवादीगण की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार चौधरी ने वकालात नामा पेश किया तथा प्रतिवादीगण की ओर से इकबाली जवाब प्रस्तुत किया व प्रतिवादीगण ने शपथ पत्र पेश कर अपने पिता के नाम से दर्ज अव्वल खातेदार के रूप में दर्ज किया गया नाम हटाये जाने पर पूर्ण रूप से सहमति जाहिर की।

तहसीलदार, ओसियां

Scanned by CamScanner

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन, किया गया तथा विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात् वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि खसरा नम्बर 267 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा मौजा ग्राम समराथलनगर पटवार मण्डल एकलखोरी व खसरा नम्बर 166 रकबा 04 बीघा मौजा ग्राम झरिया पटवार मण्डल एकलखोरी तहसील ओसियां के राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का गलत दर्ज नाम अव्वल खातेदार के रूप में नाम हटाये जाने का आदेश आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

निर्णय सरे इजलास दिनांक 21.1.2019 को सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner